(123)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2462–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–5–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी थांदला जिला झाबुआ के प्रकरण कमांक 41/अ–2/2015–16 ।

.....

अशोक कुमार पिता श्री कालूराम लोदावरा
निवासी ग्राम बामनिया तहसील पेटलावद
जिला झाबुआ

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
द्वारा : कलेक्टर जिला झाबुआ
2–अनुविभागीय अधिकारी थांदला
जिला झाबुआ

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्रीमती रजनीवशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 14/10/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी थांदला जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम खवासा स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 1648/2 रकबा 0.20 हेक्टेयर के व्यावसायिक प्रयोजन हेतु (पेट्रोल पम्प हेतु) व्यपवर्तन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 17–5–16 को प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन आदेश पारित किया गया । कलेक्टर द्वारा उक्त आदेश में अनियमितताएं पाते हुये दिनांक 27–5–16 को अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाकर प्रकरण निराकरण हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–5–16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का पूर्व व्यपवर्तन आदेश निरस्त कर एवं दिनांक 17–5–16 के पूर्व की स्थिति कायम करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने के साथ ही अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17–5–16 को निरस्त करने के निर्देश दिये गये जो कि वैधानिक प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी पुनर्विलोकन की कार्यवाही कर आदेश पारित करने में आवेदकगण को सुचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यपवर्तन को मात्र 13 दिवस के भीतर निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना विधि की प्रकिया को अपनाये आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विधिसंगत आदेश को स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है और अंतिम प्रकृति के आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत कलेक्टर को अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । अतः अपील योग्य आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रतिबंधित है । यह निगरानी विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर